भारत पर्यटन विकास निगम में आरक्षित कोटे के प्रत्याशियों की नियुक्ति

329. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम कार्यकारी स्तर के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति में आरक्षण-संबंधी विशिष्ट दिशानिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है, और 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय में वस्तुतः भरे गये कार्यकारी पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संसद सदस्यों, यूनियनों और अधिकारियों से परिवाद किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के भर्ती, पदोन्नति एवं वरिष्ठता नियमों के अनुसार मुख्यालय स्तर पर/कार्यकारी पद निम्न प्रकार से भरे जाते हैं:—

(i) 40% सीधी भर्ती के माध्यम से जहां सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण लागू है।

(ii) 60% पद विभागीय पदोन्नति समिति (डी पी सी) के माध्यम से चयन करके भरे जाते हैं।

31.3.96 को 628 स्वीकृत पदों के विरुद्ध भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय में 362 कार्यकारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 45 अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति और 7 पिछड़ी श्रेणियों के हैं।

(ग) 31 मई, 1995 को एक संसद सदस्य से पदोन्नति के मामले में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। 26 अक्तूबर, 1996 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से एक वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति न करने के संबंध में एक और शिकायत प्राप्त हुई थी और 9 अप्रैल, 1996 को एक तीसरी शिकायत एक कर्मचारी से पदोन्नति में उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त हुई थी। इन सभी शिकायतों की जांच की गई और इन्हें ठीक नहीं पाया गया और तद्नुसार शिकायत कर्ताओं को अवगत करा दिया गया था।

आयकर और सीमा शुल्क संबंधी नियमों को सरल बनाया जाना

330. **श्री इकबाल सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर एवं सीमा शुल्क नियमों को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही आवश्यक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (घ) कर कानूनों का सरलीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गत पांच वर्षों के दौरान इस सबंध में बड़ी संख्या में विधायी उपाय किए गए हैं। इनमें, सीमा शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क की शीर्ष दर में छूट, बड़ी संख्या में अंतिम उपयोग पर आधारित छूट की समाप्ति और अनेक शुल्क दरों में छूट, और आयकर के संबंध में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत कटौतियों का सरलीकरण, 1,20,000/-रु० तक की आय वाले व्यापार से इतर करदाताओं के लिए एक सरलीकृत पत्र की विवरणी की शुरूआत और स्त्रोत पर काटे जाने वाले कर के संबंध में नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, शामिल है।

वायुदूत के कर्मचारियों को सौंपे गये कार्य

331. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय वायुदूत के कर्मचारियों को देश के विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार के कार्य सौंपे जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर अभी भी कार्यरत वायुदूत के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं?